

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016

विषय:- डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03/06 मई, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से कनिष्ठ सहायक एवं आशुलिपिक के पदों पर चयन हेतु डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में शासन द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :-

- (1) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था/शिक्षा बोर्ड/परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइन्स विषय को लिया गया हो।
- (2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कम्प्यूटर साइन्स में डिप्लोमा अथवा डिग्री प्राप्त की गई हो तो वह भी कनिष्ठ सहायक/आशुलिपिक के पदों पर भर्ती हेतु पात्र होगा।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी समस्त राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों, जिन पर, डी.ओ.ई.ए.सी.सी.(डोयक) सोसाईटी (परिवर्तित नाम NIELIT - National Institute of Electronics and Information Technology) द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र अपेक्षित है, के संदर्भ में भी उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित व्यवस्था प्रभावी होगी। तत्क्रम में मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्डों/परिषदों की सूची पुनः संलग्न की जा रही है, साथ ही ऐसी संस्थाएँ, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, 30प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं है, की सूची भी संलग्न की जा रही है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2016/3/1/2015(1)-का-2-तद्विलांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण को, मा. मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद।
10. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
11. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12. वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उ.प्र.।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या- 10/2016/3/1/2015-का-2, दिनांक: 23 सितम्बर, 2016 का संलग्नक :-

(क) माध्यमिक शिक्षा परिषद् से प्राप्त कोबसे(काउन्सिल फार बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन) द्वारा उपलब्ध करायी गई विधि द्वारा स्थापित मान्य परीक्षा संस्थाओं/शिक्षा बोर्डों की सूची:-

1. बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजुकेशन (आन्ध्र प्रदेश)।
2. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन आन्ध्र प्रदेश।
3. असम हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, काउंसिल।
4. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, असम।
5. बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड।
6. बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड।
7. सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
8. छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन।
9. छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल।
10. छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, रायपुर।
11. छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड।
12. काउंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन्स।
13. दयाल बाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट(डीम्ड यूनिवर्सिटी)।
14. गोवा बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
15. गुजरात सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन बोर्ड।
16. बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा।
17. एच0पी0बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
18. जे0 एण्ड के0 स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
19. झारखण्ड एकेडमिक काउंसिल, रांची।
20. गवर्नमेन्ट आफ कर्नाटक डिपार्टमेन्ट आफ प्री-यूनिवर्सिटी एजुकेशन।
21. कर्नाटक सेकेन्डरी एजुकेशन एक्जामिनेशन बोर्ड।
22. केरल बोर्ड आफ पब्लिक एक्जामिनेशन।
23. केरल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन।
24. महाराष्ट्र स्टेट आफ बोर्ड आफ सेकेन्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजुकेशन।
25. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मध्य प्रदेश।
26. एम0पी0स्टेट ओपेन स्कूल एजुकेशन बोर्ड।
27. महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान(डिपार्टमेन्ट आफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेन्ट आफ एम0पी0)
28. बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
29. काउंसिल आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, मणिपुर, इम्फाल।
30. मेघालय बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन।
31. मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, आइजल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

32. नागालैण्ड बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, कोहिमा।
33. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओपन स्कूलिंग, नोयडा, उत्तर प्रदेश।
34. काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
35. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, उड़ीसा।
36. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, मोहाली।
37. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन, राजस्थान, अजमेर।
38. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
39. स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एकजामिनेशन्स एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एकजामिनेशन्स, तमिलनाडु।
40. त्रिपुरा बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
41. यू0पी0बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इन्टरमीडिएट एजुकेशन, इलाहाबाद।
42. यू0पी0 सेकेण्डरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल, लखनऊ।
43. बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन, उत्तराखण्ड।
44. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन।
45. वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन।
46. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ प्राइमरी एजुकेशन।
47. वेस्ट बंगाल बोर्ड आफ मदरसा एजुकेशन।
48. वेस्ट बंगाल काउंसिल आफ रबिन्द्र ओपन स्कूलिंग।
49. बनस्थली विद्यापीठ।
50. ए0पी0ओपन स्कूल सोसाइटी, गवर्नमन्ट आफ आन्ध्र प्रदेश।
51. बिहार बोर्ड आफ ओपन स्कूलिंग एण्ड एकजामिनेशन।

(ख) ऐसी परीक्षा संस्थाएं जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा मान्य नहीं हैं:-

1. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा संचालित प्रथमा/मध्यमा (विशारद) परीक्षा।
2. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन, दिल्ली की हायर सेकेण्डरी परीक्षा।
3. गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन मथुरा की अधिकारी परीक्षा।
4. बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन मध्य भारत, ग्वालियर द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षा।
5. भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, भारत।
6. भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एजुकेशन की हायर सेकेण्डरी प्राविधिक परीक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा परिषद, दिल्ली की हाईस्कूल परीक्षा।

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।